न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत – खारीया नींव
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 23/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
खेमचन्द उर्फ खींवाराम पुत्र टहलराम, जाति सिन्धी, निवासी सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।		1. सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री ताराचंद टांक, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

–: **निर्णय** : दिनांक –18.11.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा रामासनी बाला के खसरा नंबर 352, 353 तथा 354 प्रार्थी की स्वयं की खरीदसुदा खातेदारी हकूक एवं कब्जा काश्त की स्थित है। चूँकि प्रलेखक स्वर्गीय सुमेरचन्द सिंघवी सोजत शहर के ही मूल निवासी तथा सोजत बाजार के रहवासी थे, जिससे प्रार्थी की अच्छी पहचान होने से सोजत बाजार मे उसे खींवा के नाम से पुकारा जाता था। अतः स्वर्गीय सुमेरचंद भी उसे खींवा के नाम से ही पुकारते रहे। प्रार्थी ने उपरोक्त तमाम कृषि भूमि की अलग अलग बेचान रजिस्ट्री दस्तावेज का निष्पादन स्वर्गीय सुमेरचन्द से ही करवाया। जिन्होने प्रार्थी की पहिचान खींवा नाम से होने से खरीदकर्ता में खेमचन्द के स्थान पर खींवा का नाम टंकण कर दिया। उस समय खरीददार का वक्त रजिस्ट्री पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक नही होने से प्रार्थी वक्त रजिस्ट्री स्वयं उपस्थित नहीं होता और स्वर्गीय सुमेरचन्द को ही रजिस्ट्री निष्पादन का अधिकार उन्ही के विश्वास पर देता था, जो बेचान पत्र का टाईप स्वयं कर इसका रजिस्ट्रेशन करवा, रजिस्ट्री दुकान पर लाकर दे देते थे। बेचान पत्र में सरकारी रेकर्ड अनुसार खेमचन्द दर्ज होना चाहिये, मगर चूंकि बाजार में उसे खींवा के नाम से पुकारते थे। अतः मात्र टंकण लिपिकीय त्रुटि से खेमचन्द के स्थान पर खीवा टंकित हो गया, जो भूल लिपिकीय त्रुटि है, ऐसी त्रुटि दुरस्थ योग्य है। वादी खेमचन्द उर्फ खींवाराम एक ही नाम है, जिनका जाईन्दा पिता टहलराम सिन्धी निवासी सोजतसिटी है। सोजतसिटी में टहलराम नाम का एक ही सिन्धी परिवार का सदस्य है। जिसका एकमात्र पुत्र खेमचन्द उर्फ खीवाराम है। प्रार्थी को वाल्यावस्था में परिवार जाति समाज तथा रिश्तेदारान में प्यार से खींवा के नाम से ही संबोधित किया जाता रहा, जो नाम उसके व्यापारिक काल तक व्यापार मंडल तथा समाज में संबोधित होता रहा है। जबकि सरकारी रेकर्ड, परिवारकार्ड, पहचान कार्ड, आधारकार्ड, मतदाता सूची में प्रार्थी खेमचन्द पुत्र टहलराम जाति

उपखण्ड अधिकारी सोजत

सिन्धी के नाम से पहचान रखता है। रामासनी बाला गांव मे खेमचन्द अथवा खींवाराम पुत्र टहलराम सिन्धी नाम का कोई परिवार नहीं है। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 352, 353 तथा 354 प्रार्थी की स्वयं की खरीदसुदा है। वही इसका एकमात्र खातेदार काश्तकार तथा आज तक बहैसियत खातेदार के काबिज है। उसके कब्जे काश्त मालिकाना हक बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद वक्त खरीद से आज तक नहीं हुआ, न है। वर्तमान जमाबंदी में वादरथ कृषि भूमि पर प्रार्थी का नाम खींवाराम पुत्र टहलराम जाति सिन्धी निवासी सोजतसिटी दर्ज है, जो खेमचन्द पुत्र टहलराम सिन्धी निवासी सोजतसिटी है। खेमचन्द तथा खीवाराम एक ही नाम है। आम आदमी का अधिकार कार्ड, पहचान कार्ड, राशनकार्ड तथा मतदाता सूची में प्रार्थी का नाम खेमचन्द दर्ज है, जो खीवाराम ही है। यह टंकण भूल मात्र प्रार्थी के बाल्यावस्था से चले आ रहे स्नेह प्यार का संबोधन है। उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरस्थ कराने हेतु प्रार्थी की ओर से मय प्रमाण एक आवेदन दिनांक 22.11.2019 को श्रीमान तहसीलदार सोजत (प्रतिवादी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रीमान तहसीलदार ने अपने कार्यालय आदेश कमांक/भू.अ./19/4167 दिनांक 13.12.2019 को हल्का पटवारी रामासनी बाला को आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रेषित किया, जिस पर हल्का पटवारी जी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि ग्राम रामासनी बाला के खसरा नंबर 352, 353, 354 खींवाराम पुत्र टहलराम सिन्धी के नाम दर्ज है। संलग्न शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी खेमचन्द उर्फ खींवाराम पुत्र टहलराम दर्ज है। खसरा नंबर 352, 353, 354 प्रार्थी द्वारा खरीदसुदा भूमि है, यह भूमि खींवाराम पुत्र टहलराम सिन्धी के नाम से खरीद की गयी है। उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम चला आ रहा है। संलग्न दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम खेमचन्द पुत्र टहलराम दर्ज है। पुछताछ पर पाया कि खेमचन्द एवं खींवाराम एक ही व्यक्ति है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर कोई आदेश न होने पर प्रार्थी की ओर से दिनांक 01.10.2020 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने का आवेदन किया, जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब ने अपने आदेश कमांक/भू.अ./20/2438 दिनांक 14.10.2020 को प्रेषित कर नियमानुसार जरिये शुद्धि पत्र प्रार्थी का नाम दुरस्थ करने हेतु आदेशित किया। श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश पर हल्का पटवारी के म्यूटेशन नंबर 1304 दिनांक 11.11.2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 14.10.2020 की पालना में नाम शुद्धि का नामान्तरकरण दर्ज कर जांच एवं सत्यापन हेतु श्रीमान भू–निरीक्षक सोजत को प्रेषित किया, जिन्होने बाद जांच इन्द्राज सही पाया और शुद्धि नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब सोजत को दिनांक 07.12.2020 को प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार जी ने शुद्धि नामान्तरकरण का आदेश दिनांक 14.10.2020 को जारी किया, उन्होंने ही दिनांक 07.12.2020 को इसे अस्वीकृत कर दिया। ऐसी स्थिति में नाम दुरस्थी की घोषणा करवाना अत्यावश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी के संपर्क करने व निवेदन पर उसे धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत एवं धारा 136 राजस्थान ीू राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान से दुरस्ती आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया। जिस पर यह वाद बाबत घोषणा एवं दुरस्थी का पेश है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी की स्वयं की खरीदसुदा, कब्जा काश्त की है। टंकण त्रुटि से खरीद में खेमचन्द के स्थान पर खींवाराम होने से उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में आज तक नाम चला आ रहा है, मगर इस भूमि के कब्जा, हक, हिस्सा, टाईटल के संदर्भ में किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

कोई विवाद आज तक किसी ने न तो पैदा किया, न संभावना है। खेमचन्द उर्फ खींवाराम एक ही व्यक्ति का नाम है। जिसके पिता का नाम टहलराम है। सोजत शहर तथा रामासनी बाला में टहलराम सिन्धी नाम का कोई व्यक्ति या परिवार नही है। एकमात्र प्रार्थी ही टहलराम का पुत्र है, जिसका नाम मात्र लिपिकीय त्रुटि से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, जो खेमचन्द के नाम घोषणा करवाकर उसे दुरस्थ करने का यह वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बिनायदावा दिनांक 07.12.2020 को श्रीमान तहसीलदार द्वारा शुद्धि पत्र अस्वीकार करने से पैदा हुआ, जो अंदर म्याद है। इस प्रकार राजस्व वाद– पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक वाद डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में दर्ज खातेदार खीवाराम के स्थान पर खेमचन्द उर्फ खीवाराम पुत्र टहलराम जाति सिन्धी दर्ज किये जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रति. को जरिये सम्मनस वास्ते ज. दा. तलब किया गया। तहसीलदार, सोजत ने दिनांक 07.04.2021 को प्रस्तुत जवाब दावा में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 लगायत 8 में प्रार्थी के स्वयं साबित करना अंकित किया है। तहसीलदार, सोजत के पत्रांक/राजस्व/2021/4443, दिनांक 18.11.2021 के संलग्न दिनांक 18.11.21 को पटवारी हल्का की प्रस्तुत रिपोर्टानुसार राजस्व ग्राम रामासनी बाला के खसरा नम्बर 352, 353 व 354 खीवाराम पुत्र टहलाराम कौम सिन्धी के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नंबर प्रार्थी की खरीद सुदा भूमि है। जिस अनुसार आदिनांक राजस्व रेकर्ड खींवाराम पुत्र टहलाराम नाम चल रहा है। गांव में पुछताछ करने पर पाया गया कि खींवाराम व खेमचन्द एक ही व्यक्ति है। अतः ग्राम रामासनी बाला के खसरा नंबर 352, 353 व 354 में खींवाराम पुत्र टहलाराम के स्थान पर खेमचंद पुत्र टहलाराम नाम दर्ज करने की अनुशंसा की है। ग्राम पंचायत, खारिया नींव सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.2021 अनुसार खिवाराम उर्फ खेमचंद पुत्र टहलाराम निवासी रामासनी बाला ग्राम पंचायत खारीया नींव के स्थायी निवासी है तथा खिवाराम उर्फ खेमचंद पुत्र टहलाराम को जानना पहचानना बताया है।

पत्रावली आज दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट कैम्प–खारीया नींव में पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित जमाबन्दी तथा वास्तविक रूप से वादी का नाम वादी के आधार कार्ड, पहचान कार्ड, राशनकार्ड तथा मतदाता सूची में प्रार्थी का नाम खेमचन्द दर्ज है, जो खीवाराम ही है। जिसकी संपुष्टि सरपंच प्रमाण पत्र, रिपोर्ट पटवारी मय तहसीलदार सोजत की अभिशंषा तस्दीकसुदा शपथ पत्रों से होती है। प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत हेतु प्रस्तुतः शपथ पत्रों में तथ्यो कों स्वीकार किया तथा वादी का गलत रूप से खींवाराम पुत्र टहलराम मानवीय/सदभाविक चूंक/भूलवश अंकित कर दिया गया जबकि खींवाराम का वास्तविक रूप से खेमचन्द उर्फ खीवाराम पुत्र टहलराम होना बखूबी साबित होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक नाम खेमचन्द उर्फ खीवाराम पुत्र टहलराम जाति सिन्धी दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित है लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना तथा वादस्थ भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खींवाराम के स्थान पर खेमचन्द उर्फ खीवाराम पुत्र टहलराम जाति सिन्धी दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रामासनी बाला के खसरा नंबर 352, 353 तथा 354 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक मानवीय चूँक/भूलवश बोलचाल की भाषा का गलत रूप से दर्ज नाम खींवाराम पुत्र टहलराम के स्थान पर खेमचन्द उर्फ खीवाराम पुत्र टहलराम जाति सिन्धी सा0 देह खातेदार घोषित किया जाता है तथा दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – खारीया नींव

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान/शिविर ग्राम पंचायत खारीया नींव में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – खारीया नींव
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
खेमचन्द उर्फ खींवाराम पुत्र टहलराम, जाति सिन्धी, निवासी सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।		2. सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 23 / 2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री ताराचंद टांक तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रामासनी बाला के खसरा नंबर 352, 353 तथा 354 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक मानवीय चूँक / भूलवश बोलचाल की भाषा का गलत रूप से दर्ज नाम खींवाराम पुत्र टहलराम के स्थान पर खेमचन्द उर्फ खीवाराम पुत्र टहलराम जाति सिन्धी सा0 देह खातेदार घोषित किया जाता है तथा दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को इस आदेश व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.11.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – खारीयानीव

उपखण्ड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.